

**जन. संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विकासारण शुक्ल) :** (क) और (ख) केवल प्रत्यक्ष निवेश को देखते हुए, लघु सिंचाई योजनाओं की प्रति हेक्टेयर लागत वृद्ध और मध्यम परियोजनाओं की तुलना में कम हो सकती है। तथापि, यदि लघु सिंचाई योजनाओं में नलकड़ों/पंप सेटों को विद्युत शक्ति करने के संसाधनों की आनुपातिक लागत को ध्यान में रखा जाए है तो लघु योजनाओं की प्रति हेक्टेयर लागत वृद्ध एवं मध्यम परियोजनाओं की तुलना में कम नहीं है। इसके अलावा, वृद्ध एवं मध्यम परियोजनाओं का उपयोगी जीवन लघु योजनाओं से अधिक होता है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) में देश में वृद्ध व मध्यम स्तरी जल सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 5.1 मिलियन हेक्टेयर तथा लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 10.7 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की परिकल्पना की गयी है।

(घ) आठवीं योजना (1992—97) के लिए, वृद्ध व मध्यम परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं के वास्तु सार्वजनिक क्षेत्र

का परिव्यय क्रमशः 22415 करोड़ रुपए और 5977 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, लघु सिंचाई योजनाओं के विकास के लिए संस्थानगत निदेशों के माध्यम से 5119 करोड़ रुपए जुटाए जाने का लक्ष्य है।

**उत्तर प्रदेश में 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड'**

\*465. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' को विस्तार प्राप्त दीक्षक रूप से पिछड़े हुए किन्हीं जिलों का पता लगाया है; और

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत 1987-88 से लेकर 1993-94 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता :—

(रु० लाखों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल सहायता
1	2
आंध्र प्रदेश	11394.78
अरुणाचल प्रदेश	403.68
असम	4080.08
बिहार	13600.82
गोवा	163.53
गुजरात	3529.11
हरियाणा	616.34
हिमाचल प्रदेश	2130.39
जम्मू और कश्मीर	1607.00
कर्नाटक	6482.58
केरल	613.57
मध्य प्रदेश	7055.66

1	2
महाराष्ट्र	10611.86
मणिपुर	274.29
मेघालय	668.43
मिजोरम	136.49
नागालैंड	107.00
उड़ीसा	9053.72
पंजाब	1595.01
राजस्थान	11602.77
सिक्किम	75.56
तमिलनाडु	3744.64
त्रिपुरा	224.18
उत्तर प्रदेश	9165.57
पश्चिम बंगाल	4115.12
अ० तथा निकोबार द्वीप समूह	12.09
चंडीगढ़	1.17
दादर और नगर हवेली	17.96
दमन और दीव	1.19
दिल्ली	118.37
लक्षद्वीप	0.48
पांडिचेरी	62.14

#### Demands of Minority Bodies

\*466. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the Hindustan Times of 13th February 1994 captioned "Demand of minority bodies" regarding demands raised at the conference of State Minorities' Commissions and Boards held recently;

(b) if so, the action taken by Government so far in this regard; and

(c) how much time is likely to be taken by Government to fulfil their demands ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : (a) Yes, Sir. The news refers to a conference of State Minorities Commission/Boards and State Minorities Finance Development Corporations held on 7th February, 1994 at New Delhi under the aegis of the National Commission for Minorities.

(b) and (c) The Commission has not formally conveyed the decisions and recommendations of the Conference to the Government so far.

However in regard to the matters referred to in the news item, a statement is laid on the Table of the House,